

18/07
22

पत्रावली पेश हुई। कुलाय उप।
पार्थी व वकील पार्थी ने उपास्थित होकर प्रकरण
में Not Press किया। चूंकि पार्थी प्रार्थना
पत्र चलमा नहीं चाहता है अतः प्रार्थना पत्र
Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
वाली (जिला-पाली) राज.

बस्तीमल
Not Press
Dheshwar